

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

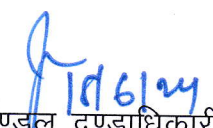
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – टोहन बड़ाईकु

बनाम

वाद सं0 92/2023

द्वितीय पक्ष – मदरू साहु बगैरह।

आदेश की सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 31/2023 दिनांक 03/11/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) टोहन बड़ाईकु उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 सावन बड़ाईकु ग्राम+पो0 बघिमा, थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) अनिल मिश्रा उम्र 30 वर्ष पिता द्वारिका मिश्रा (2) विजय मिश्रा उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 जुगेश्वर मिश्रा (3) अशोक मिश्रा पिता श्री इंद्र मिश्रा उर्फ हरिहर उम्र 40 वर्ष (4) राधे श्याम कुमार मिश्रा उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 विन्देश्वर मिश्रा ग्राम बड़का टोली बघिमा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा बघिमा के खाता सं0 135, प्लॉट सं0 4073 रकबा 0.70 एकड़ भूमि को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा उपस्थित फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित:- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	